उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-17/2019/1300/तीस-4-2019-08(3)/2015
लखनऊ: दिनांकः 05 सितम्बर , 2019

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 211 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 65 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना संख्या-13/2019/933/तीस-4-2019-08(3)/2015, दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा गजट में पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनातें हैं। प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या-1063/30-4-2019-08(03)/2015, दिनांक 23.07.2019 द्वारा कर दिया गया है :-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (सत्तासइवां संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-51 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-51 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) रजिस्ट्रीकरण की संख्या उसी क्रम में दी जायेगी, जिस क्रम में आवेदन पत्र प्राप्त होंगें।	(1) रजिस्ट्रीकृत संख्यायें उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 51क के उपनियम (2) के खण्ड(चार)(क) एवं खण्ड(चार)(ख) के अधीन आरक्षित संख्याओं के सिवाय क्रमानुसार उसी क्रम में समनुदेशित की जायेंगी, जिस क्रम में आवेदन पत्र प्राप्त होंगे।
(2) मोटरयानों को एक बार दी गयी कोई संख्या किसी अन्य मोटरयान को नहीं दी जायेगी और न ही किसी रद्द की गयी मोटरयान रजिस्ट्रीकरण की संख्या किसी अन्य मोटरयान को दी जायेगी। परन्तु यह कि, ऐसे पुराने गैर परिवहन यान, जिसके स्वामी के पास उस यान का स्वामित्व लगातार कम से कम तीन वर्ष तक रहा हो, उस वाहन स्वामी के द्वारा क्रीत नये यान पर, ऐसे पुराने यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, रजिस्ट्री करण फीस और कर भुगतान के साथ-साथ रूपये 25,000 प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विहित	(2) किसी मोटरयान के लिए एक बार समनुदेशित की गयी कोई संख्या, किसी अन्य मोटरयान के लिए समनुदेशित नहीं की जायेगी और न ही किसी मोटरयान की रद्द की गयी रजिस्ट्रीकृत संख्या, किसी अन्य मोटर यान के लिए समनुदेशित की जायेगी। परन्तु यह कि किसी पुराने यान का रजिस्ट्रीकरण अंक, पुराने मोटरयान के स्वामी द्वारा इस नियम के खण्ड (पांच) में उपबन्धित विहित फीस के साथ ही साथ तद्धीन रजिस्ट्रीकरण फीस तथा कर का भुगतान करने के पश्चात विहित उसी वर्ग के नये यान के लिए निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन प्रदान किया जा सकता है :- (एक)नए यान का स्वामी, नए यान के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निबन्धनों और शर्तों के अधीन प्रदान किया जायेगा।	रजिस्ट्री करण के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 में विहित दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा और साथ ही साथ अपनी पुरानी संख्या को नए यान में प्रवहित करने के लिए भी आवेदन करेगा। यदि पुराना यान दूसरे किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो उक्त स्वामी को मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 48 के अधीन दूसरे किसी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करना होगा। (दो) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, नये यान के लिए चालू श्रृंखलाओं की नई रजिस्ट्रीकरण संख्या आवंटित करेगा और पुराने मोटरयान की मार्ग संचालन उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के पश्चात पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या को नये यान में प्रवहित करेगा और साथ ही साथ नए यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या को पुराने यान में प्रवहित करेगा। (तीन) यदि पुराना यान अन्य किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी पुरानी संख्या को नये यान में एवं नई संख्या को पुराने यान में प्रवहित करने के पूर्व सुनिश्चित करेगा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 48 के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली गयी है। (चार) ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह दोनो यानों के अभिलेखों को अनुरक्षित करे। (पांच) यदि पुरानी संख्या उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली,1998 के नियम 51(क) के उप नियम 2 के खण्ड(दो) के अनुसरण में अधिसूचित और आरक्षित संख्याओं की श्रेणी में आती है,तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी चार पहिया यान के लिए उक्त संख्या की श्रेणी के आधार मूल्य का बीस प्रतिशत अथवा पांच हजार रूपये, जो भी अधिक हो और दो पहिया यान के लिए उक्त संख्या की श्रेणी के आधार मूल्य का बीस प्रतिशत अथवा एक हजार रूपये, जो भी अधिक हो, वसूल करेगा। परन्तु यह कि शासकीय यान से शासकीय यान के लिए रजिस्ट्रीकरण अंक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	को प्रवहित करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी। (छः) यदि पुरानी संख्या उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 51(क) के उपनियम 2 के खण्ड (चार) के अनुसरण में अधिसूचित और आरक्षित संख्याओं की श्रेणी में नहीं आती है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी दो पहिया यानों के लिए एक हजार रूपये और चार पहिया यानों के लिए पांच हजार रूपये वसूल करेगा। परन्तु यह कि शासकीय यान से शासकीय यान में रजिस्ट्रीकरण अंक प्रवहित करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी। (सात) यदि यान उसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता में रजिस्ट्रीकृत है तो संख्या प्रवहित करने का सम्पूर्ण प्रयोग सात दिनों के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि पुराना यान अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता में रजिस्ट्रीकृत है तो इसे पैंतालिस दिन के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। स्पष्टीकरणः (क) इस उपनियम के प्रयोजनार्थ शब्द "एक ही श्रेणी" का तात्पर्य दो पहिया यान (निजी) के लिए दो पहिया यान (निजी) दो पहिया यान (परिवहन) के लिए दो पहिया यान (परिवहन), हल्का मोटर यान (निजी) के लिए हल्का मोटर यान (निजी), हल्का मोटर यान (परिवहन) के लिए हल्का मोटर यान (परिवहन), मध्यम मोटर यान के लिए मध्यम मोटर यान, भारी मोटर यान के लिए भारी मोटर यान से है। (ख) चार पहिया का तात्पर्य चार अथवा चार से अधिक पहिया वाले यानों से है।
(3) कोई भी व्यक्ति सिवाय जिस यान के लिये इन नियमों के अधीन पंजीकृत नम्बर को किसी अन्य यान पर प्रयोग अथवा प्रदर्शित नहीं करेगा।	(3) कोई व्यक्ति मोटर यान से भिन्न किसी ऐसे यान, जिसके लिए रजिस्ट्रीकृत संख्या इस नियमावली के अधीन समनुदेशित की गयी हो, पर रजिस्ट्रीकृत संख्या प्रदर्शित अथवा प्रयोग नहीं करेगा।
(4) नियम-51 (2) के परन्तुक के अन्तर्गत प्रत्येक प्रार्थना पत्र के लिये अतिरिक्त शुल्क रूपया 25000/- देय होगा।	(4) निकाल दिया गया।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम 51क का संशोधन

2- उक्त नियमावली में, नियम 51क में, उप नियम(2) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (चार) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः-

<table>
<tr><th>स्तम्भ-1</th><th>स्तम्भ-2</th></tr>
<tr><th>विद्यमान खण्ड</th><th>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड</th></tr>
<tr><td>(चार) किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दिये गये आवेदन पत्र पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ''पहले आने पर पहले'' सिद्धान्त के आधार पर आवेदन-पत्र के साथ अति आकर्षक संख्याओं के लिए 15,000 रूपये, अति महत्वपूर्ण संख्याओं के लिए 7,500 रूपये, आकर्षक संख्याओं के लिए 6,000 रूपये और महत्वपूर्ण संख्याओं के लिए 3,000 रूपये के शुल्क के अग्रिम रूप में भुगतान करने पर, जो अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त होगा, उप नियम (दो) के अधीन परिवहन आयुक्त द्वारा रजिस्ट्रीकरण संख्या को आवंटित करेगा, और ये आवंटित संख्याएं एक बार आवंटित हो जाने पर अन्तरणीय नहीं होगी।
परन्तु यह किः-
(1) किसी परिवहन कार्यालय में किसी नये वाहन नीलाम के लिये सीरीज के समस्त अधिसूचित पंजीयन नम्बर प्रथमतः उस कार्यालय में सीरीज प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर सात दिनों तक खुले रहेगें। इस नीलामी बोलीदाता को उस श्रेणी के लिए निर्धारित फीस से अधिक राशि की बोली लगानी होगी। यदि बोलीदाता की संख्या तीन से कम होती है तो उस स्थिति में पंजीयन नम्बर के लिये नीलामी की प्रक्रिया सात दिनों के लिये और बढ़ा दी जायेगी। इस बढ़ाई हुई अवधि में भी यदि तीन बोलीदाता भाग नहीं लेते हैं तो अधिकतम बोलीदाता को सम्बन्धित नम्बर आवंटित कर दिया जायेगा, चाहे बोलीदाता एक ही क्यों न हों। नीलामी</td><td>(चार)(क) किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उप नियम (2) के खण्ड (दो) के अधीन परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचित कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या यथास्थिति नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से या ''प्रथम आगत प्रथम स्वागत'' के सिद्धांत पर, ऑनलाइन माध्यम से आरक्षित करेगा। इन अधिसूचित संख्याओं के लिए आधार मूल्य (बेस प्राइस) निम्नवत् होगाः-
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>रजिस्ट्रीकरण संख्या की श्रेणी</th><th>दो पहिया यान (रूपये में)</th><th>चार पहिया यान (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>अति आकर्षक</td><td>20,000</td><td>1,00,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अति महत्वपूर्ण</td><td>10,000</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आकर्षक</td><td>5,000</td><td>25,000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>महत्वपूर्ण</td><td>3,000</td><td>15,000</td></tr>
</table>
परन्तु यह कि-
(1) नयी श्रृंखलाओं की समस्त अधिसूचित संख्यायें, प्रारम्भिक रूप से सात दिनों के लिए नीलामी हेतु खोली जायेंगी जो परिवहन कार्यालय में श्रृंखलाओं की नीलामी प्रारम्भ होने के दिनांक को पूर्वान्ह 10 बजे से सातवें दिन की समाप्ति तक होगी। उक्त नीलामी के लिए बोली लगाने वाले को पृथक-पृथक अधिसूचित संख्याओं के लिए आधार मूल्य (बेस प्राइस) से अधिक धनराशि प्रस्तावित करना होगा। यदि बोली लगाने वालों की संख्या तीन से कम होती है तो नीलामी की प्रक्रिया अग्रतर सात दिनों के लिये बढ़ा दी जायेगी। यदि बढ़ाई गई अवधि में भी तीन बोली लगाने वाले भाग नहीं लेते हैं तो उक्त संख्या उच्चतम बोली लगाने वाले को आवंटित कर दी जायेगी। ऐसी अधिसूचित संख्यायें, जो विहित नीलामी अवधि में नीलाम</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

की प्रक्रिया हेतु निर्धारित अवधि में इस प्रक्रिया में नीलाम नहीं होने वाले अधिसूचित पंजीयन नम्बरों का आरक्षण ''प्रथम आगत प्रथम पावत'' सिद्वान्त के अन्तर्गत अधिनियम की धारा-41 की उप धारा(2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त उपधारा(2) में निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान कर बुकिंग कराने हेतु आवेदकों के लिए खुले रहेंगे। (2) नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से या ''प्रथम आगत प्रथम पावत'' के सिद्वान्त पर किसी अधिसूचना पंजीयन नम्बर के आरक्षण की प्रक्रिया तथा तौर-तरीका का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के द्वारा किया जायेगा।	होने से रह जाती हैं, ''प्रथम आगत प्रथम स्वागत'' के सिद्धांत के आधार पर उप-खण्ड (क) के अधीन विहित आधार मूल्य का भुगतान करने पर बुकिंग हेतु खुली रहेंगी। इस फीस का भुगतान, उक्त अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित फीस के साथ किया जायेगा। ये आकर्षक संख्याऐं एक बार आरक्षित कर दिये जाने पर अन्तरणीय नहीं होंगी (2) अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या की बुकिंग का तौर तरीका और उसकी रीति नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से या "प्रथम आगत प्रथम स्वागत'' के सिद्धान्त के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किये जायेंगे। (ख) किसी व्यक्ति द्वारा आनलाइन आवेदन किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उप नियम (2) के खण्ड (एक) और (दो) के अधीन परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचित संख्याओं से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या को "प्रथम आगत प्रथम स्वागत'' के सिद्धान्त के आधार पर अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित फीस सहित अग्रिम में दो पहिया यान के लिए एक हजार रूपये और चार पहिया यान के लिए पांच हजार रूपये का भुगतान किये जाने पर आरक्षित कर सकता है।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-17/2019/1300/तीस-4-2019-08(3)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-17/2019/1300/तीस-4-2019-08(3)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-17/2019/1300/तीस-4-2019-08(3)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नल़उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना
   एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्तर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्तर जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.17/2019/1300/xxx-4-2019-08(3)/2015, dated 05 September, 2019.

Notification

No.17/2019/1300/xxx-4-2019-08(3)/2015
Lucknow: Dated 05 September, 2019

In exercise of the powers under section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 211 of the said Act and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after previous publication in the Gazette vide notification no. 13/2019/933/XXX-4-2019-08(3)/2015 dated 07 June, 2019 as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act of 1988. The objections and suggestions received with respect of the proposed rules have been disposed of in Government order no. 1063/30-4-2019-08(03)/2015 dated 23.07. 2019 :-

The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Seventh Amendment) Rules, 2019

Short title and commencement	1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Seventh Amendment) Rules, 2019	
	(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.	
Amendment of rule 51	2- In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, herein after referred to as the said rules for rule-51 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-	
	Column-1	Column-2
	Existing rule	Rule as hereby substituted
	(1) The registered numbers shall be assigned serially in the order in which applications are received.	(1) The registered numbers shall be assigned serially in the order in which applications are received except in case of numbers reserved under clause (iv)(a) and (b) of sub rule (2) of rule 51A of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998.
	(2) A number once assigned to a motor vehicle shall not be assigned to any other motor vehicle nor shall the cancelled registered number of a motor vehicle be assigned to any other motor vehicle. Provided that, such old non transport vehicle, as was owned for consecutive three years by its owner, registration mark of such old vehicle may be given to the new vehicle purchased by the said owner after paying the charges of Rs. 25,000.00 in addition to the	(2) A number once assigned to a motor vehicle shall not be assigned to any other motor vehicle nor shall the cancelled registered number of a motor vehicle be assigned to any other motor vehicle: Provided that, registration mark of an old vehicle may be given to a new vehicle of same class purchased by the same owner after paying prescribed fee provided in clause (v) of this rule hereunder along with registration fee and tax for

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	than payable registration fee and tax and Under the terms and conditions prescribed by the State Government. Registration marks of the current series may be allotted to the old vehicle.	new vehicle under the following terms and conditions:- (i) The owner of the new vehicle shall apply for the registration of new vehicle along with the documents prescribed in rule-47 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and also apply simultaneously for porting his old number to new vehicle. If the old vehicle is registered under the jurisdiction of another registering authority owner shall also obtain no objection certificate under Section 48 of the Motor Vehicle Act, 1988 from another registering authority. (ii) The Registering Authority shall allot new registration number of current series to new vehicle and after ensuring roadworthiness of the old motor vehicle port the old vehicle registration number to new vehicle and simultaneously port new registration number to the old vehicle. (iii) If the old vehicle is registered under the jurisdiction of another registering authority, the Registering Authority, before porting the old number to the new vehicle and new number to the old vehicle, shall ensure that No objection certificate under section-48 of the Motor Vehicles Act, 1988 is obtained. (iv) It shall be the duty of such Registering Authority to keep and maintain the records of both vehicles. (v) If the old number falls in the category of notified and reserved numbers in pursuance of clause (ii) of sub rule (2) of rule 51 A of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, the registering authority shall

http://shasanadesh.up.gov.in

	realize the twenty percent of base price of the category of the number or five thousand rupees whichever is higher for four wheeler and twenty percent of base price of the category of the number or one thousand rupees whichever is higher for two wheeler: Provided that no fees shall be charged for the porting the registration mark of government vehicle to government vehicle. (vi) If the old number does not fall in the category of notified and reserved number in pursuance of clause (iv) of sub rule (2) of rule 51.A of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules 1998, the Registering Authority shall realize one thousand rupees for two wheeled vehicles and five thousand rupees for four wheeled vehicles: Provided that no fees shall be charged for the porting the registration mark of Government vehicle to Government vehicle. (vii) If the vehicle is registered in the jurisdiction of same Registering Authority this whole exercise of number portability shall be completed within seven days and if the old vehicle is registered under the jurisdiction of another Registering Authority it shall be completed within forty five days. Explanation : (a) For the purpose of this sub rule, the words "Same class" means Two wheeler (private) for two wheeler (private), two wheeler (transport) for two wheeler (transport), LMV (private) for LMV (private), LMV (transport) for LMV

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(transport), MMV for MMV, HMV for HMV. (b) "Four wheeler" means vehicles having four or more than four wheels.
(3) No person shall exhibit or use a registered number on any vehicle other than the motor vehicle to which it has been assigned under these rules.	(3) No person shall exhibit or use a registered number on any vehicle other than the motor vehicle to which it has been assigned under these rules.
(4) For every application under proviso of rule 51(2) an additional fee of Rs. 25,000.00 shall be payable.	(4) Omitted

Amendment of rule-51A

3- In the said rules, in rule-51A in sub-rule (2) for clause set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1	Column-2
Existing clause	Clause as hereby substituted
(iv) The Registering Authority may on an application in writing made to it by any person, reserve any registration number notified by the Transport Commissioner under sub-rule (ii) on payment of a fee Rs. 15,000.00 for very attractive numbers, Rs. 7,500.00 for very important numbers, Rs. 6000/- for attractive numbers and Rs. 3,000/- for important numbers in advance along with application in addition to fees prescribe under sub-section (2) of Section 41 of the Act on the principle of "first come first" basis and these attractive numbers once reserved shall not be transferable. provided that- (1) All the notified new series of the numbers of the vehicle shall initially be opened for auction for seven days which shall start from 10.00 A.M. of the date of beginning of the auction of a series in a transport office till the end of seventh day. For the said	(iv) (a) The Registering Authority may on an application made to it by any person, reserve any registration number notified by the Transport Commissioner under clause (ii) of sub-rule (2) either through the process of auction or on the principle of "first come first serve", as the case may be, through online mode. The base price for these notified number shall be following:-

Sl. no.	**Type of Registration no.**	**Two wheeler (in rupee)**	**Four wheeler (in rupee)**
1	**2**	**3**	**4**
1	Very Attractive	20,000	1,00,000
2	Very Important	10,000	50,000
3	Attractive	5,000	25,000
4	Important	3,000	15,000

Provided that-

(1) All the notified numbers of new series shall initially be opened for auction for seven days which shall start from 10.00 A.M. of the date of beginning of the auction of the series in a transport office till the end of seventh day. The bidder has to offer more amount than the base price for the respective notified numbers for said auction. If the number of bidders is less than three then the process of auction shall be extended for further period of seven days. If in the extended period also three

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

auction bidder has to offer more amount than the fees prescribed for the respective prescribed numbers. If the number of bidders is less than three, than in that case the process of auction for the notified number shall be extended for a further period of seven days. If in the extended period also three bidders do not take part than in that case said number shall be allotted to the highest bidder. Even if there is only one bidder those notified numbers which remain un-auctioned in the prescribed period of auction shall be opened for booking by payment of prescribed fees under sub-section (2) of Section 41 of the Act on the principal of "first come first serve " basis by advance payment of fees prescribed under sub-rule (2). (2) The mode and manner for the booking of notified registration number either through the process of auction or on the principle of " first come first serve" shall be specified by notification by the State Government.	bidders do not take part then the said number shall be allotted to the highest bidder. Those notified numbers which remain un-auctioned in the prescribed period of auction shall remain open for the booking on payment of prescribed base price under sub-clause (a) on the principle of "first come first serve" basis. This fee shall be paid along with the fee prescribed under the sub-section (2) of section 41 of the Act. These attractive numbers once reserved shall not be transferable. (2) The mode and manner for the booking of notified registration number either through the process of auction or on the principle of "first come first serve" shall be specified by notification by the State Government. (b) The Registering authority may, on an application made to it by any person through online mode, reserve any registration number except those notified by the Transport Commissioner under clause (i) and (ii) of sub-rule (2) on payment of rupees one thousand for two wheeler and rupees five thousand for four wheeler in advance along with fees prescribed under sub-section (2) of section 41 of the act on the principle of "first come first serve" basis.

By order,

(Arvind Kumar)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।